(ख) इसका इस वर्ष भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 153 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा में या निर्यात द्वारा और 44 करोड़ रुपया रुपयों में ।

(ख) हमें जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है उसमें से सब से पहले ऋण चुकाये जाते हैं इसलिए दूसरे कामों के लिए उतनी ही विदेशी मुद्रा कम हो जायगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

1965–66 के लिये आयव्ययक प्राक्कलनों और केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के वर्ष 1964–65 के लिए अनुपूरक वित्त विवरण

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत् (सम्भरण) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के वर्ष 1965–66 के लिये आयव्ययक प्राक्कलनों (खण्ड 1 और 2) तथा वर्ष 1964–65 के लिये अनुपूरक वित्त विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए, संख्या एल० टी० 4864/65 ।]**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक 25 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1247

(दो) दिनांक 25 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1248

(तीन) दिनांक 25 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1249 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए, संख्या एल० टी० 4865/65 ।]**

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE:DISCUSSIONS WITH SECRETARY GENERAL OF U. N.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ऊ थांत, 12 सितम्बर, 1965 को नई दिल्ली आये और यहां तीन दिन ठहरने के बाद वह कल न्यूयार्क चले गये । हमने उनका केवल महान व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विश्व-संगठन के, जिस के कंधों पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाये रखने की भारी जिम्मेवारी का बोझ है, प्रतिनिधि के रूप में स्वागत किया ।

[श्री लाल बहादूर शास्त्री]

महा-सचिव ने और मैंने खुलकर और स्पष्ट बातचीत की। उन्होंने विदेश मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान महा-सचिव ने वर्तमान संघर्ष के, भारत और पाकिस्तान के 60 करोड़ व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में, गंभीर परिणामों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सुरक्षा परिषद् के 4 और 6 सितम्बर के संकल्पों का उल्लेख किया और अपील की कि दोनों देश तुरन्त युद्ध-विराम का आदेश जारी कर दें।

मने घटनाओं का वास्तविक ब्यौरा दिया और बताया कि वर्तमान संघर्ष हमने आरम्भ नहीं किया है; इसे पाकिस्तान ने ही आरम्भ किया था जब 5 अगस्त, 1965 को हजारों की संख्या में सशस्त्र घुसपैठियों ने हवाई अड्डों, पुलिस चौकियों तथा पुलों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने तथा उन पर कब्जा करने के उद्देश्य और अन्त में श्रीनगर स्थित राज्य सरकार पर बलपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से हमारे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आक्रमण किया। यह देख कर कि उसका आरम्भिक आक्रमण प्राय: असफल हो गया है, पाकिस्तान ने 1 सितम्बर, 1965 को न केवल युद्ध-विराम रेखा के पार बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार भी बड़े पैमाने पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया। इस प्रकार भारत के लिए आत्म-रक्षा में प्रतिकारात्मक उपाय करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा। मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान ने ही हमारे ऊपर लड़ाई थोपी है। हम देश की, जिसका जम्मू तथा काश्मीर राज्य एक अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता की पूर्ण रक्षा के लिये कटिबद्ध हैं। नहीं हम ऐसी स्थिति स्वीकार कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान बार बार अपना सशस्त्र आक्रमण भारत के विरुद्ध जारी रख सके।

महा-सचिव की यह उत्कट इच्छा थी कि हमें सबसे पहले युद्ध-विराम करने और संघर्ष को समाप्त करने के लिये सहमत होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि सेनाओं में लड़ाई बन्द करने की बात तो समझ में आती है लेकिन हमलावरों का प्रश्न अभी रहता है। मैंने बताया कि हमें इन हमलावरों के खिलाफ़, जिनमें से बहुत से अब भी जम्मू और कश्मीर राज्य में हैं, यदि पाकिस्तान उनको हमारे क्षेत्र से वापस नहीं बुलाता है, कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

हमने युद्ध-विराम के परिणामों पर विस्तार से विचार किया। मुझे महा-सचिव का एक पत्र मिला जिसमें युद्ध-विराम की अपील को दोहराया गया था। इस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए, संख्या एल० टी० 4866/65।**]

सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद हमने उनको उत्तर भेज दिया जिसकी प्रति भी सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल० टी० 4866/65।**]

हमने महासचिव के युद्धविराम करने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की। तथापि भारत के लिये कुछ अत्याधिक महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में हमने अपना रवैया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उदाहरणार्थ हमें उन घुसपैठियों से निपटना होगा जो अब भी सरकारी सम्पत्ति पर हमला कर रहे हैं अथवा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे लिये उस स्थिति में पुन: आ जाना भी संभव नहीं है जिसमें हम अपने आपको घुसपैठ करने वालों को रोकने में एक बार फिर असमर्थ पाएं अथवा उन घुसपैठ करने वालों से प्रभावशाली ढंग से निपट नहीं सके जो पहले ही इधर घुस आये हैं।

जहां तक इस प्रश्न के राजनीतिक पहलू का सम्बन्ध है, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत की, जिसका जम्मू तथा काश्मीर राज्य एक अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के

लिए कटिबद्ध हैं। चाहे कितना भी दबाव अथवा खतरे पेश क्यों न आयें हम इस संकल्प से विमुख नहीं हो सकते। युद्ध विराम के लिये सहमत होने के लिये हमने यह शर्त्तें नहीं लगायीं थीं परन्तु इनका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अपने रवैये को स्पष्ट करना तथा उसको सुस्पष्ट रूप से दोहराना था।

14 सितम्बर को सायंकाल मुझे महासचिव का एक और पत्र मिला जिसमें उन्होंने बताया कि वह उन बातों के बारे में, जो मैंने अपने पत्रों में उठायीं थीं, कोई आश्वासन नहीं दे सकते। वास्तव में हमने उनसे कोई आश्वासन देने को नहीं कहा था। इस प्रकार युद्ध-विराम करने की हमारी सहमति महा-सचिव को अपील के अनुरूप थी। इन पत्रों की प्रतियां भी सभा-पटल पर रख दी गयी हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4866/65।]**

नई दिल्ली से जाने के पूर्व महासचिव ने मुझे बताया कि यदि पाकिस्तान 15 सितम्बर, 1965 की सायं तक युद्ध-विराम करने से सहमत होने का उत्तर नहीं देता है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रश्न पर समझौता नहीं हो सका है। क्योंकि निर्धारित समय तक सहमति का ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिये यह घोषणा कर दी गई कि हमारी सुरक्षा सेनाओं को पूरी ताकत से कार्यवाही जारी रखनी होगी।

हालांकि शांति स्थापित करने के लिये संघर्ष को बन्द कराने के महा-सचिव के वर्तमान प्रयत्न सफल नहीं रहे हैं, हमारी ओर से पूरा पूरा सहयोग दिया गया, वह इस सम्बन्ध में आगे प्रयत्न करना चाहते हैं और नई दिल्ली से रवाना होने से कुछ ही देर पहले उन्होंने मुझे एक और पत्र भेजा, जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4866/65।]**

हम यथासंभव शीघ्र इसका एक निश्चित उत्तर भेज देंगे।

जैसा माननीय सदस्यों को पता लगेगा, हमने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के प्रयासों में पूरा सहयोग दिया है और हमने महा-सचिव के तुरन्त युद्ध-विराम करने के प्रस्ताव को भी मान लिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इस पर कोई सहमति प्रकट नहीं की। वास्तव में ऐसे संकेत हैं कि वह इस लड़ाई को उस समय तक जारी रखना चाहता है जब तक कि उनकी इस योजना को, जिसमें सारे जम्मू तथा काश्मीर से भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं को हटाया जाना, संयुक्त राष्ट्र सेना को वहां तैनात किया जाना और इसके तीन महीने बाद जनमत-संग्रह करना शामिल है, भारत मान नहीं लेता है।

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सुलझे-सुलझाये मामले को फिर से उठाने के ख्याल से 5 अगस्त, 1965 को भारत पर आक्रमण किया। वह आक्रमण करके हम पर निर्णय थोपना चाहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारे लिये अपना संघर्ष जारी रखने के अति-रिक्त और कोई चारा नहीं है। हम यह पूरी तरह अनुभव करते हैं कि वर्तमान सशस्त्र संघर्ष से दोनों देशों के लोगों को बहुत बड़ी कठिनाईयां सहन करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी प्रसन्नता से इन कठिनाईयों को सहन कर लेंगे परन्तु आकान्ता को अपने देश की स्वतन्त्रता को खतरे में न डालने देंगे अथवा अपने क्षेत्र को हड़पने नहीं देंगे।

राष्ट्रपति अय्यूब खां के कल के सम्वाददाता-सम्मेलन के बारे में मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है। समाचार है कि अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सद्‌बुद्धि इस बात की मांग करती है कि भारत और पाकिस्तान शांति से रहे। यदि यह नया तथा सत्यनिष्ठा से किया विचार है तो हम इसका स्वागत करेंगे चाहे यह प्रस्ताव इतनी देर से क्यों न किया गया हो। परन्तु यदि पिछले अनुभव को देखा जाये तो यह कथन केवल प्रचार का ही एक भाग दिखाई देगा ताकि संसार को धोखे में डाला जा सके। पहले भी राष्ट्रपति अय्यूब ने शान्ति की अच्छाइयों का बखान किया था और इसके बाद कच्छ में और

[श्री लाल बहादूर शास्त्री]

फिर काश्मीर में बिना किसी उत्तेजना के भारत पर आक्रमण किया था। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति अय्यूब ने अब यह देख लिया होगा कि पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध नफ़रत और संघर्ष की नीति का क्या परिणाम निकला।

आज की परिस्थिति में राष्ट्र को निरन्तर सावधान रहना है और स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिये हर बलिदान के लिये तैयार रहना है। मैं इस संसद का, सभी राजनीतिक दलों और समूचे राष्ट्र का आक्रमणकारी के विरुद्ध एक होकर खड़े होने के लिये आभारी हूं। मैं राष्ट्र की ओर से बहादुर सशस्त्र बलों का भी आभारी हूं, जिन्होंने यह दिखा दिया है कि वे केवल अपने सीमान्त की रक्षा ही नहीं कर सकते बल्कि शत्रु को करारी चोट देने में भी समर्थ हैं। उनके बहादुरी के कार्य भारत के इतिहास में एक महान अध्याय बनेगा। इस संसद और समूचे राष्ट्र को उन पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि हम इसी दृढ़ निश्चय और साहस से चुनौती का सामना करते रहेंगे।

Shri Madhu Limaye : On a point of Order, Sir. You had said that permission will be given after the statement is over.

Mr. Deputy Speaker : What is your point of order ?

Shri Madhu Limaye : Our demand to raise a discussion on Kashmir and Indo-Pak conflict has not been accepted. This was communicated to the Leader of the House and the hon. Speaker also. Had this discussion been held earlier, the House would have assisted the Prime Minister in drafting a reply to the U. N. Secretary General.

Many a time it has been stated that when the Lok Sabha is in Session, all important statements should be made first on the floor of the House before releasing them to the Press. But what the Prime Minister said today had earlier been released to the Press—both Indian and foreign—although the House was kept waiting throughout yesterday and thus contempt of the House has been committed.

श्री रंगा (चित्तुर) : श्रीमान्, मैं अपने दल की ओर से इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधान मंत्री जी, उनके दृढ़ संकल्प तथा इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ पूर्ण समर्थन प्रगट करता हूं। और विश्वास दिलाता हूं कि देश पर किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने में हम सरकार के साथ हैं।

सरकार ने देश का पक्ष संयुक्त राष्ट्र तथा इसके महासचिव के समक्ष ठीक प्रकार से और योग्यतापूर्ण ढंग से रखा है क्योंकि हम ने उनके सुझाव मान लिये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्योंकि यह समय बातें करने के बजाय चुप रहने और काम करने का है इसीलिये हम विदेश मंत्री महोदय की इस भूल को जो उन्होंने कुछ बातें संसद् को बताने से पूर्व ही पत्रकारों को बता कर की हैं उस पर कोई ध्यान न देने का अनुरोध करते हैं।

परन्तु मैं प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि अब जबकि पाकिस्तान ने हमारे शान्तिपूर्ण सुझावों को ठुकरा कर हमें जवाबी कार्यवाही करने पर बाध्य कर दिया है हमें चाहिये विश्व भर में विशेषकर बड़े देशों की राजधानियों में हम यह बात, जितने भी अधिक प्रभावशाली ढंग से हों सके, बताने का हर सम्भव प्रयत्न करें कि यह युद्ध हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पर थोपा गया है और इस सारे काण्ड का जिम्मेदार पाकिस्तान है।